

४०. (६)

उच्च विद्या (एप्र-३) विभाग

राजस्थान सरकार, अमृतपुर

परा-विद्या विभाग ३००६

दिनांक ३।१।२०२१...सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तात्त्विकी विद्या विभाग
राजस्थान सरकार प्रधान प्रधान
राजस्थान सरकार ५१६७

२।८।२।

क्रमांक :-FS(221)DoIT/Govt/2014 /M1 - ३१५५/२०२१

जयपुर, दिनांक:- ३०/०७/२०२१

- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

विषय:- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं निश्चित समयावधि में निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

३५४६३ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी सिरटम के लिये व्यापक कार्यप्रवाह के साथ उचित निवारण सुनिश्चित करने के लिये एकीकृत जन शिकायत निवारण पोर्टल है।

३५४६४ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं उनकी समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान/व्यापक निस्तारण हेतु उचित माध्यम प्रदान करता है।

३५४६५ इन दिशानिर्देशों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर एवं विभागाधिकारियों को, शिकायतों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके सम्बन्धित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार प्राप्त है। जिलेवार एवं दिनांकावार निगरानी को सक्षम बनाने के लिये विशेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च किये गए हैं जो विभिन्न मापदण्डों पर सम्बन्धित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित प्रदर्शन और लम्बित प्रकरणों की स्थिति को दर्शाते हैं।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं निश्चित समयावधि में निस्तारण हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देश का अध्ययन कर इनकी पालना सुनिश्चित की जावे:-

- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये समस्त विभाग/कार्यालय अपनी प्रशिक्षण आवश्यकता, कार्मिकों की सूची के साथ नियमित समय अन्तराल पर प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे, जिससे कि इनका प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जा सके।
- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं निश्चित समयावधि में निस्तारण हेतु समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि समय-समय पर कार्यरत सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मधारियों का अद्यतन/मैटिंग रथानान्तरण उपरान्त आवश्यक रूप से पोर्टल पर किया जाए।
- समस्त विभाग/कार्यालय राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध लंबित प्रकरणों का समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करें।

३५४६६

३५४६७

३५४६८



राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

- समर्त विभाग/कार्यालय परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निरतारण सुनिश्चित करें एवं निरतारण की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज/सूचना/फोटो/वीडियो पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करें।

(निसंचित आवश्यक)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, मा. राज्य मन्त्री, जन अभियोग निराकरण, राजस्थान।
- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1()प्रशा./आकाशि/2021/6445

दिनांक : 06-08-2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- समर्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय (राजस्थान)/राज. स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर/राज. संगीत संस्थान, जयपुर।
- समर्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
- वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

6.8.2021

(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपर